Joint Inspection Report in compliance of the Hon'ble NGT order, dated 10/12/2021 in the matter of O.A. No.326/2021 Behari lal chaturvedi vs Ministry of Jal Shakti and ors.

Background

The Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of Original Application No. O.A. No.326/2021, dated 10/12/2021 in the matter of Behari Lal Chaturvedi vs Ministry of Jal Shakti and ors. directed as below:

1. *Grievances in the application is against alleged encroachment of Yamuna flood plain by respondent no. 2, Yamuna Mission, Mathura. It is stated that though the ostensibly acting to preserve and clean river Yamuna and undertaking plantation drive, in the garb of such activities, Yamuna flood plain is being encroached. The applicant has filed photographs showing construction on the ghats and copies of complaints made to the authorities.*
2. *In view of above allegation, we find it necessary to seek a factual and action taken report from a joint committee of CPCB, state PCB, District Magistrate Mathura and Executive Engineer, upper division, Agra canal. The state PCB will be the nodal agency for compliance. The report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form searchable pdf/OCR support pdf and not in the form of image pdf and also upload the same on website of CPCB simultaneously so that the concerned parties can access the same for further course of action."*

In compliance of the above order the joint committee carried out field visit in Mathura, U.P. from 12.01.2022 to 13.01.2022. The joint inspection team comprised of the following members:

1. Shri Jawahar Lal Shrivastava, City Magistrate, Mathura (nominated by DM, Mathura)
2. Shri Kamal Kumar, Scientist 'D', CPCB Agra (nominated by CPCB)
3. Shri Arvind Kumar, Regional Officer, UPPCB, Mathura (nominated by UPPCB)

12/2/22

4. Shri Rakesh Kumar, Asst. Engineer Irrigation, Upper division Agra Canal, Mathura (nominated by Executive Engineer, Upper Div. Agra Canal, Irrigation Dept. Mathura)

Joint team visited the site Yamuna River bank in Mathura in the presence of representative of Yamuna Mission, Mathura Sh. Gopesh Krishn Das and Sh. Devendra Das and information collected from the concerned departments i.e. Mathura-Vrindavan Nagar Nigam and Upper Div. Agra Canal, Irrigation department. The field observations are as below:

Observation:

- The joint committee visited the Ghats viz. behind Kans kila, Gau ghat, Swami ghat, Dhruv ghat, Sudarshan ghat and Mahadev ghat etc. on the Yamuna River bank, Mathura. (annexure-01)
- It was observed that Yamuna Mission, Mathura has constructed appx. 25 - 100 meter wide earthen corridor in the Yamuna River stretch about 6-8 kms. (annexure-02)
- In the corridor, huge plantation has been done by the Yamuna Mission, Mathura. (annexure-03)
- In the corridor, a lot of barbed wire fencing and small cemented brick wall construction also has been done. (annexure-04)
- These corridors have been developed as parks now. In these parks more than 100 small swings has been installed. In the gau ghat, regular aarti is being performed by Yamuna Mission, Mathura. (annexure-05)
- Some sewage effluent drains have been diverted during this construction activity by Yamuna Mission, Mathura. (annexure-06)
- As informed by representative of Yamuna Mission, Mathura that this work is being carried out since February-2015 to till now.
- As informed by representative of Yamuna Mission, Mathura that no permission has been taken from any concerned departments in Mathura for these activities. There is no technical feasibility or impact study report available for these activities on the Yamuna river.
- It was not clear to the joint committee that Ghats areas and river bank land belongs to which departments. It seems that some parts belong to Mathura-

Vrindavan Nagar Nigam, Mathura and some parts belong to Irrigation department. Due to this joint committee decided to take correct information from the concerned departments.

- Joint committee instructed to RO Mathura for issue letter to Mathura-Vrindavan Nagar Nigam and Irrigation department for providing information with details with reference to this court order. (annexure-07)
- RO, Mathura has issued letter to Mathura-Vrindavan Nagar Nigam and Irrigation department for providing information with details with reference to this court order. (annexure-08)
- As per the information provided by Irrigation department, No permission has been granted to Yamuna Mission, Mathura for these unauthorized activities in the bank of Yamuna River. (annexure-09)
- Due to these unauthorized activities in the bank of Yamuna River, one FIR has been lodged by Upper Div. Agra Canal, Irrigation dept. Mathura, in the Thana Govind Nagar on Dated: 03.11.2018 against Yamuna Mission, Mathura. copy of the FIR is enclosed as annexure-10.
- As per the information provided by the Mathura-Vrindavan Nagar Nigam No permission has been granted to Yamuna Mission, Mathura for these unauthorized activities in the bank of Yamuna River.
- Notices issued dt. 25.01.2022 and 03.06.2021 by Mathura-Vrindavan Nagar Nigam to Yamuna Mission for stopping of all unauthorised encroachments work. (annexure-11)

Suggestions:

- Concerned departments (Mathura-Vrindavan Nagar Nigam and Upper Div. Agra Canal, Irrigation dept. Mathura) should demark their boundaries on the river bank and ensure no unauthorized activities should carried out on the river bank of Yamuna.
- Concerned departments should do the maintenance and management of the ghats' cleanliness and preserve natural ecology of river Yamuna.
- On the River bank of Yamuna Ghats, the unauthorized constructed corridor should restore in their natural stage.

- As no permission has been taken by Yamuna Mission, Mathura for these unauthorized encroachments activities in the bank of Yamuna River by concern departments, so Honourable NGT Court may issue order to concerned departments to take appropriate action for these unauthorised activities.

(Kamal Kumar)
Scientist-D
Central Pollution Control Board,
Project Office, Agra

(Arvind Kumar)
Regional Officer
UP Pollution Control Board,
Mathura

(Rakesh Kumar)
Assistant Engineer
Irrigation Department
Upper division Agra canal,
Mathura

(Bachan Singh)
Executive Engineer
Irrigation Department
Upper division Agra canal,
Mathura

(Jawahar lal Shrivastava)
City magistrate, Mathura

(Navneet Singh Chahal)
District Magistrate, Mathura

Annexure-1

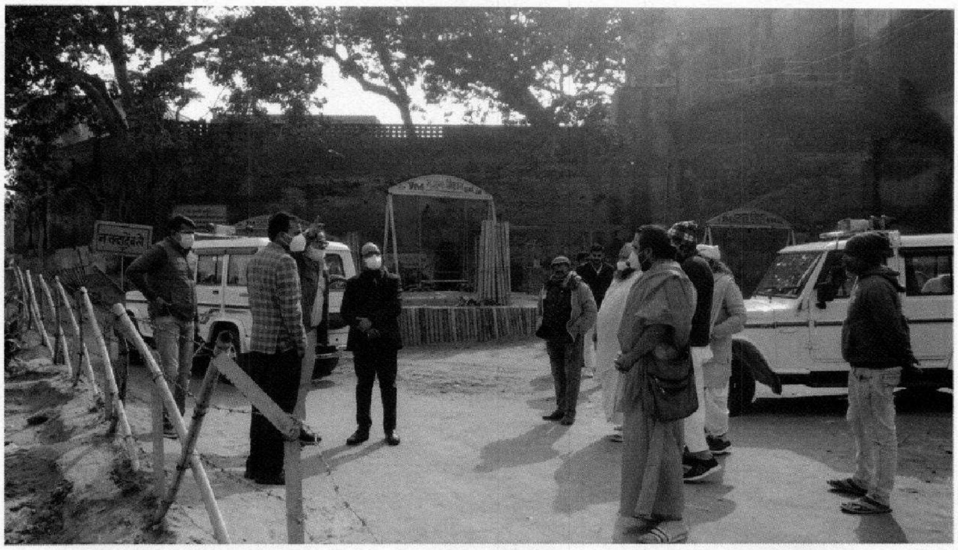

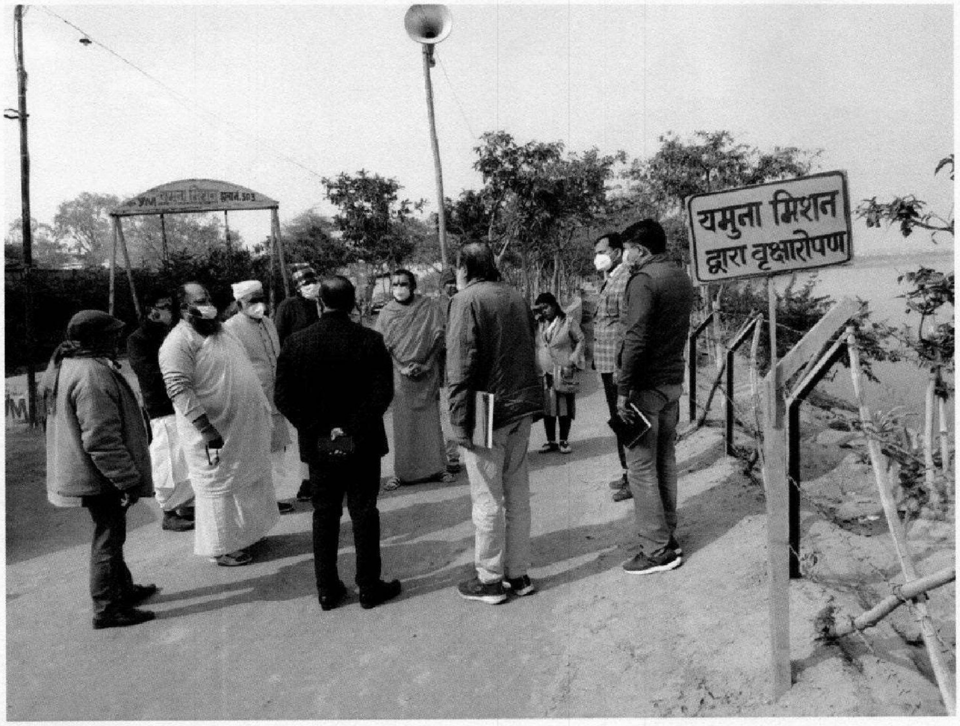

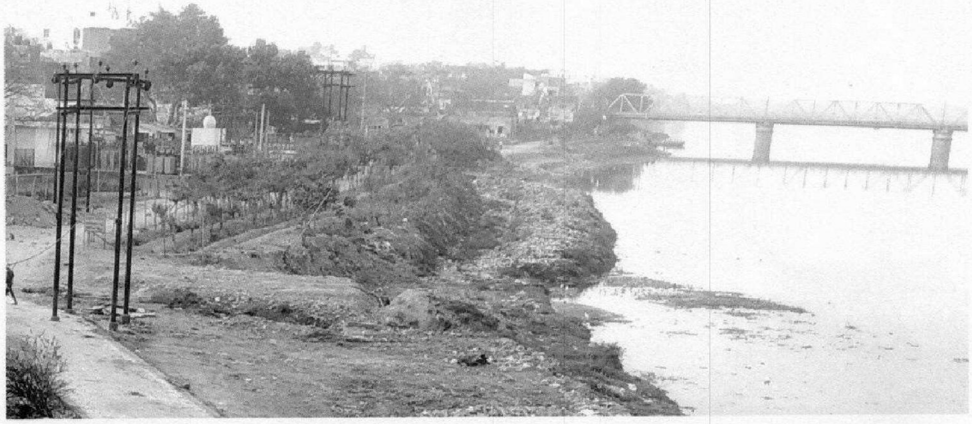

यमुना मिशन
YAMUNA
YM
MISSION
द्वारा महा वृक्षारोपण अभियान
सुदर्शन घाट, महादेव घाट

Annexure-2

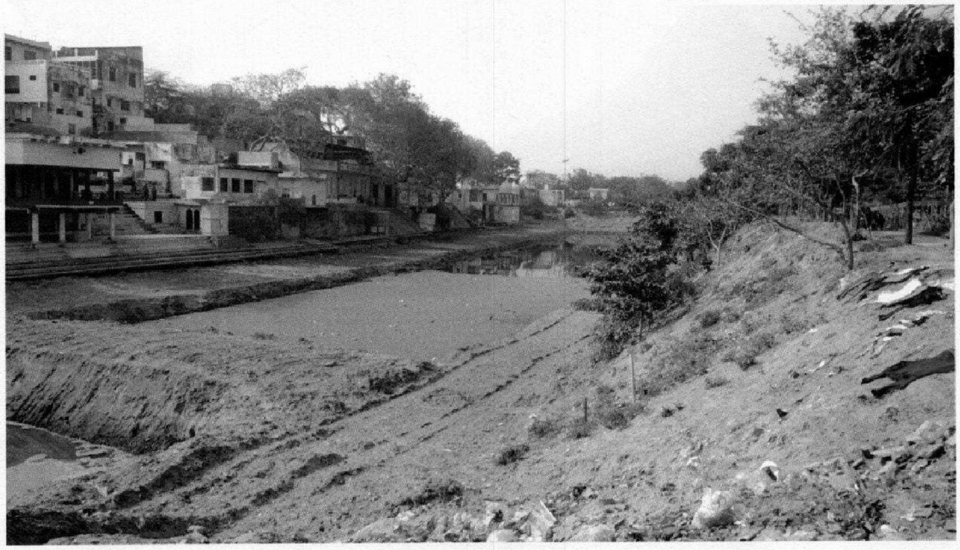

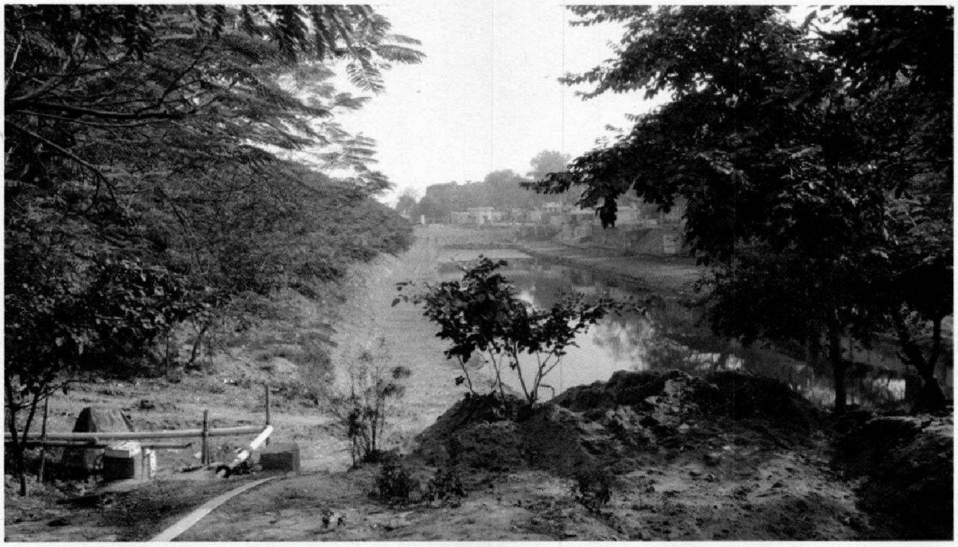

Annexure-3

Annexure-4

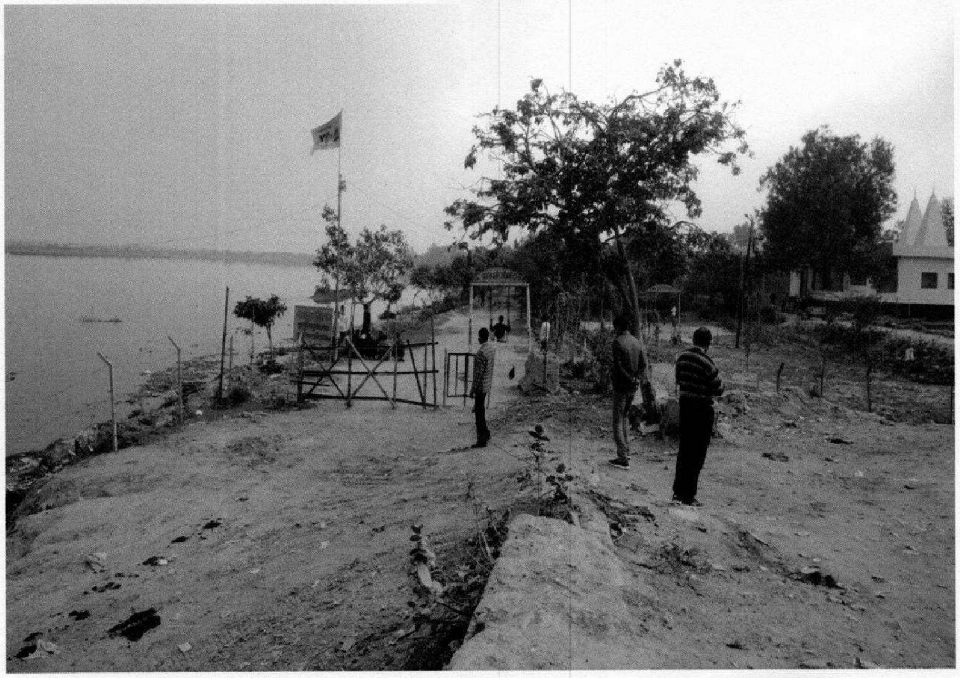

Annexure-5

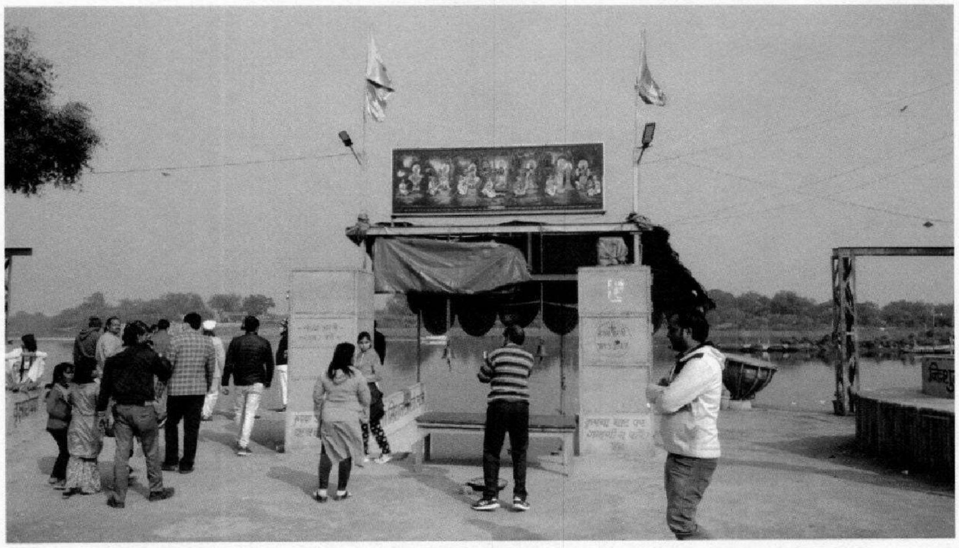

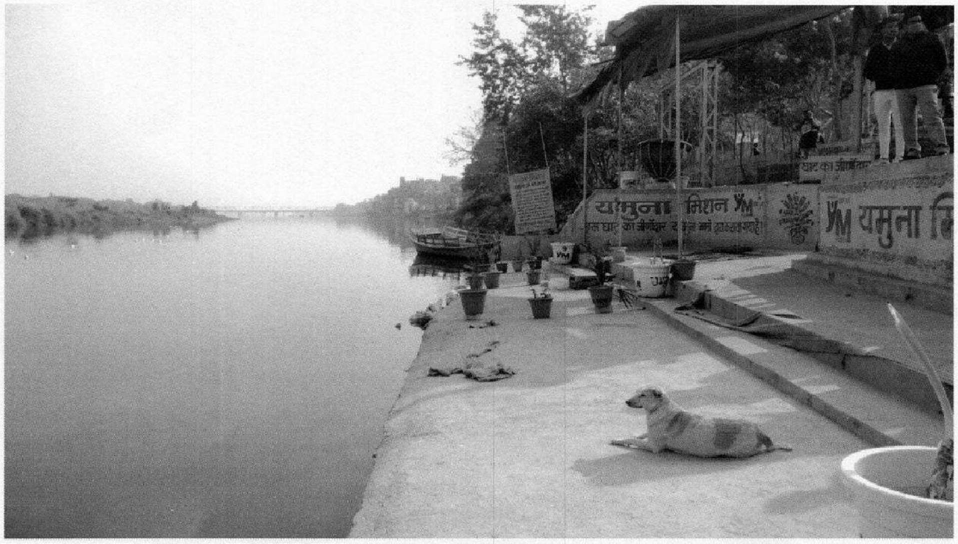
यमुना मिशन YM
YM यमुना

Annexure-6

दिनांक 12.01.2020 को माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–326/2021 बिहारी लाल चतुर्वेदी बनाम जल शक्ति मंत्रायल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में एक संयुक्त निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:–

1. श्री जवाहर लाल श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट, मथुरा
2. श्री कमल कुमार, प्रभारी परियोजना कार्यालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा
3. श्री अरविन्द कुमार क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मथुरा
4. श्री राकेश कुमार, सहायक अभियन्ता, अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा

संयुक्त टीम के द्वारा कंस किला, गउ घाट, स्वामी घाट, घ्रुव घाट एवं सुर्दशन घाट आदि स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यमुना मिशन के प्रतिनिधि श्री गोपेश कृष्ण दास एवं देवेन्द्र दास उपस्थित थे। स्थल मिटटी डाल वृहद वृक्षारोपण किया गया है जो लगभग 6–7 किलोमीटर की लम्बाई में यमुना नदी के दॉये किनारे पर किया गया है। स्थलो पर तारों की बाड़ एवं ईटो की छोटी दीवार बनाकर पार्क विकसित किये गये है। पार्क में झूले आदि लगाये गये है। यमुना मिशन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि यह कार्य फरवरी 2015 से किया जा रहा है तथा इस कार्य को करने के लिये किसी भी विभाग से कोई भी अनुमति नही ली गयी है और न ही उनके द्वारा निरीक्षण के समय को साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

निरीक्षण के समय देखा गया कि यमुना मिशन द्वारा जिस भूमि पर कार्य किया गया है व भूमि नगर निगम या सिंचाई विभाग की प्रतीत होती है। संयुक्त टीम द्वारा दोनों विभागों को निर्देशित किया गया कि अपने–अपने क्षेत्र का चिन्हांकन करते हुये विस्तृति रिपोर्ट साक्ष्य के साथ 07 दिवस के अन्दर टीम को प्रस्तुत करें जिससे आख्या ससमय साक्ष्यों के साथ माननीय हरित न्यायलय में प्रस्तुत की जा सकें।

(राकेश कुमार) 13/01/22
सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग
अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मथुरा

(कमल कुमार) 13/01/22
प्रभारी अधिकारी,
केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा

(जवाहर लाल श्रीवास्तव)
सिटी मजिस्ट्रेट, मथुरा

Annexure-8

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
65 ए. बल्देव पुरी, महोली रोड
मथुरा

पत्रांक: 1005/0-80/2022 दिनांक: 21/01/22

सेवा में,

1. उपायुक्त महोदय, मथुरा–वृन्दावन, नगर निगम, मथुरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, अपर डिवीजन, आगरा कैनाल, मथुरा।

विषय–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–326/2021 बिहारी लाल चतुर्वेदी बनाम जल शक्ति मंत्रालय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच 9562/सी–4/एन0जी0टी0–137–विधि/2021 दिनांक 17.12.2021 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ के पत्रांक–CM-13011/2021-TECH-RD-LUCKNOW/1050 दिनांक 03.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–326/2021 बिहारी लाल चतुर्वेदी बनाम जल शक्ति मंत्रालय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में यमुना बाढ़प्रवण क्षेत्र के कथित अतिक्रमण के संदर्भ में तथ्यात्मक एवं कार्यवाही रिपोर्ट हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा दिनांक 12.01.2021 को संयुक्त रूप से निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। उक्त सम्बन्ध में आप अवगत करायें कि यमुना मिशन द्वारा यमुना नदी आस–पास अतिक्रमण किये जाने हेतु आपके कार्यालय से किसी प्रकार की अनुमति/सहमति प्राप्त की है अथवा नहीं की पूर्ण सूचना इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराया जा सके।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मथुरा।
3. सिटी मजिस्ट्रेट, मथुरा।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा

पत्रांक : /अपर/कोर्ट केस/एन0जी0टी0/ दिनांकः /02/2022

विषयः—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ओ0ए0 संख्या 253/2021 बिहारी लाल चतुर्वेदी बनाम जल शक्ति मंत्रालय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के सम्बंध में।

संदर्भः—सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पृष्ठांकित संदर्भ संख्या एच 69562/सी—4/एन0जी0टी0—137—विधि/2021, दिनांक 17.12.2021

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि अन्यों के साथ आपको एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है। उक्त के सम्बंध में इस खण्ड के सहायक अभियंता प्रथम की आख्यानुसार सूचनीय है कि सिंचाई विभाग द्वारा यमुना नदी के अन्दर एवं यमुना नदी के किनारे पर नदी को संरक्षित करने, वृक्षारोपण करने एवं साफ—सफाई करने के लिये यमुना मिशन को कोई अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। इस खण्ड के उपखण्ड प्रथम द्वारा यमुना मिशन के विरूद्ध माह नवम्बर 2018 में थाना गोविन्द नगर मथुरा में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जा चुकी है एवं यमुना मिशन संस्था को उक्त कार्य न करने के लिये उपखण्ड स्तर से पत्राचार भी किया गया है। आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

/

अधिशासी अभियन्ता
अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा

पत्रांक : 306 /अपर/कोर्टकेस/ दिनांकः 04/02/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को उनके पत्रांक 1787/दिनांक 20.12.2021 के सम्बंध में।
2. सहायक अभियंता प्रथम अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा को उनके पत्रांक 35/स0अ0प्र0 /अपर/कोर्टकेस/दिनांक 25.01.2022 के सम्बंध में।

अधिशासी अभियन्ता
अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा

Annexure-10

(2)

सेवा में,

श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय,
थाना गोबिन्दनगर , मथुरा

विषयः– यमुना नदी के किनारे यमुना के फ्लड प्लेन में बिना सक्षम अनुमति/स्वीकृति के कच्चा/पक्का स्थायी निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि ध्रुवघाट से लेकर जयसिंहपुरा खादर तक लगभग 7 से 8 किमी0 लम्बाई में यमुना नदी के किनारे एवं फ्लड प्लेन में कब्जा करने की नीयत से कच्चे/पक्के निर्माण कार्य यमुना मिशन द्वारा किये जा रहे हैं।

यमुना मिशन के कार्य संस्थापक श्री प्रदीप बंसल निवासी हरा फाटक मानिकचौक, मथुरा एवं संयोजक श्री अनिल कुमार शर्मा निवासी शीतलाघाटी घीयामंडी चौक बाजार मथुरा द्वारा कराये जा रहे हैं।

यमुना मिशन को पत्रांक 227/ दिनांक 23.10.2018 द्वारा धारा 441 में नोटिस जारी किया गया था। श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा कुछ अभिलेख प्रस्तुत किये गये परन्तु अवैधानिक कब्जा एवं कार्यों के सम्बन्ध में कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि निर्दोष साबित हो सकें। यमुना मिशन द्वारा इन कार्यों को करने के लिए किसी भी विभाग के सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।

अतः यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल निवासी हरा फाटक मानिकचौक, मथुरा एवं संयोजक श्री अनिल कुमार शर्मा निवासी शीतलाघाटी घीयामंडी चौक बाजार मथुरा के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 431 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

दिनांक– 3/11/2018

संजीव कुमार तिवारी
सहायक अभियन्ता प्रथम
अपर खण्ड आगरा नहर
मथुरा
मोबाइल - 9639810058

बृजराज सिंह
जिलेदार द्वितीय
अपर खण्ड आगरा न0
मथुरा
9456862712

राम अवतार शर्मा
सींचपाल बोरी
अपर खण्ड आ0न0 म0.
मो0 8126641924